पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

(47)

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/8360 दिनांकः– 27.03.2017

प्रबंध मण्डल की षष्ठम बैठक दिनांक 26.03.2017 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 26.03.2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की षष्टम बैठक कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	श्री बंशीधर खण्डेला	मा. सदस्य (मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं मा. विधायक, खण्डेला)
3.	श्री गोरधन वर्मा	मा. सदस्य (मा. विधायक, धोद)
4.	प्रो. यशपाल सिंह	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
5.	प्रो. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
6.	श्री मूल चन्द	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर)
7.	प्रो. सी.बी. गेना	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
8.	डॉ. धर्मचंद जैन	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
9.	डॉ. रामस्वरूप जाखड़	मा. सदस्य (प्राचार्य, महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान महाविद्यालय, झुंझुनू)
10.	श्री रामनिवास जाट	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। सदन के समस्त सदस्यों ने डॉ. बी.एल. शर्मा को विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर कार्यग्रहण करने की शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. **एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन**
   निर्णयः प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2017 के कार्यवृत का सर्वानुमति से श्री सी. बी. गैना महोदय द्वारा इंगित त्रुटियों में सुधार के बाद संलग्न प्रारूप में अनुमोदित किया गया।

2. **एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट का अनुमोदन।**

निर्णयः प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 को सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। पूर्व वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के बजटीय खर्चों को शीर्षकानुसार अनुमोदित किया गया।

चूंकि पूर्व वर्षों में ब्रुटिवश बजट अनुमोदित नहीं किये गये थे, अतः सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक बजट अनुमानों एवं उनके अंतर को वित्त समिति के समक्ष रखकर औचित्यता के साथ सत्यापन कराया जावे एवं वह विवरण प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

संलग्न– 1. बजट की प्रति।

3. एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा उतीर्ण करने के लिए अधिकतम समयावधि के निर्धारण के दिशा–निर्देशों का अनुमोदन ।

निर्णयः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा उतीर्ण करने के लिए अधिकतम समयावधि के निर्धारण के दिशा–निर्देशों एवं प्रस्तुत प्रारूपों का सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है ।

संलग्न– 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की प्रति।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन मय संलग्नक की प्रति।

4. एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न सामग्री एवं साधनों के उपापन हेतु विश्वविद्यालयी अधिकारियों एवं प्राधिकार मण्डल की सरंचना के अनुरूप "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन विनियम" का अनुमोदन ।

निर्णयः विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न सामग्री एवं साधनों के उपापन हेतु विश्वविद्यालयी अधिकारियों एवं प्राधिकार मण्डल की सरंचना के अनुरूप "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन विनियम" का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

संलग्न– 4. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उपापन विनियम की प्रति।

5. एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले चैक पर हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में अधिकारियों के निर्धारण हेतु दिशा निर्देशों का निर्धारण करने पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले चैक पर हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में अधिकारियों के निर्धारण हेतु सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक चैक पर कम से कम दो अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिए कम

से कम तीन अधिकारियों का पैनल बनाया जावे तथा इस पैनल में कुलपति की अनुमति से संशोधन किये जा सकेंगें।

वर्तमान में चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए पैनल में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव के पदों को सम्मिलित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है।

6. A. एजेण्डा बिन्दु संख्या 06/पूरक एजेण्डा संख्या 03:

अ. विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए भू भाग के सन्दर्भ मे आर्किटेक्ट की नियुक्ति पर चर्चा।

ब. मास्टर प्लान तैयार करवाने पर चर्चा एवं निर्णय।

स. प्रशासनिक भवन के लिए नक्शे पर चर्चा एवं निर्णय।

द. विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु एजेन्सी तय करने पर चर्चा व निर्णय।

6B. पूरक एजेण्डा–03:– RSRDC को भवन निर्माण का काम देने पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः उपरोक्त दोनों एजेण्डों के सारतत्व एक ही मुद्दे से संबंधित होने के कारण एक साथ चर्चा की गई तथा सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि:

अ. निर्माण कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार की संस्था RSRDC से संपर्क कर एमओयू के मुद्दों पर चर्चा की जावे तथा शर्तें स्वीकार्य हो तो RSRDC निर्माण से संबंधित शर्तानुसार निर्माण कार्य करवाया जाये।

ब. इस संदर्भ में कोई बदलाव प्रस्तावित हो तो विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है।

स. विश्वविद्यालय भवनों के लिए आवंटित जमीन कम होने के कारण भवनों का निर्माण होरिजेन्टल के स्थान पर वर्टिकल स्ट्रक्चर की प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।

द. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक भवन के नक्शे को सिद्धांततः इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि इसमें विशेषज्ञ राय एवं विश्वविद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कस्टोमाईज भी किया जा सकता है।

7. एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: राजभवन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार करने पर निर्णय।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद् में चर्चा के बाद विस्तृत प्रस्ताव रखा जावे।

संलग्नः– 5. प्रपत्र का प्रारूप एवं नियमावली।

(44)

8. **एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: 2017–18 के बी.एड. एवं एम.एड. महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं नियमावली का अनुमोदन।**

निर्णयः सर्वानुमति से शैक्षणिक सत्र 2017–18 के बी.एड. एवं एम.एड. महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं नियमावली को अनुमोदित किया जाता है।

संलग्नः– 6. प्रपत्र का प्रारूप एवं नियमावली की प्रति।

पूरक एजेण्डा–

9. **पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: राज्य सरकार द्वारा श्री कल्याण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर को संघटक महाविद्यालय बनाने की सहमति मांगी थी, जिसका सहमति पत्र भिजवाया जा चुका है, जिसका अनुमोदन।**

निर्णयः राज्य सरकार द्वारा श्री कल्याण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वबिद्यालय, सीकर का संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगी गयी सहमति पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये सहमति पत्र की कार्यवाही को सर्वानुमति से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

संलग्नः– 7. विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये सहमति पत्र की प्रति।

10. **पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: विश्वविद्यालय के कोर्ट केस के लिए अधिवक्ता/विधिक सलाहकार की नियुक्ति पर चर्चा।**

निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के अदालतों, ट्रिब्यूनलों एवं अन्य सभी न्यायिक एवं अर्द्ध न्यायिक न्यायालय तथा आयोगों में चलने वाले मामलों के लिए तथा विश्वविद्यालय को विधिक मामलों में विधिक राय देने के लिए पैनल बनाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति एवं श्री मुनेश कुमार को अधिकृत किया जाता है। इन अधिवक्ताओं का मेहनताने का भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित दरों पर स्वीकृत किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति के अनुमोदन से अतिरिक्त मेहनताना निर्धारित कर सकता है।

11. **पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: कुलपति महोदय के क्षेत्राधिकार से बाहर की यात्रा करने पर चर्चा एवं निर्णय।**

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि कुलपति राज्य एवं राष्ट्र के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की तरह राज्य के भीतर एवं बाहर यात्रा कर सकते हैं। ऐसी यात्राओं का कार्यक्रम कुलपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, अतः इसके लिए किसी अन्य अधिकारी की अनुमति या आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी।

12. पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए CBCS आधारित सेमेस्टर पद्धति के लिए अधिसूचना के प्रारूप पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए CBCS आधारित सेमेस्टर पद्धति के लिए अधिसूचना के प्रारूप के संदर्भ में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि इसे प्रथमतः विद्या परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे।

13. पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए शोध संबंधी अध्यादेश पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित एवं भारत सरकार के शासकीय गजट, 2016 द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशानुसार "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पी.एचडी./एम.फिल अध्यादेश, 2017" के प्रारूप को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है तथा सम्मति हेतु उक्त अध्यादेश निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंषा की जाती है।

संलग्नः– 8. "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पी.एचडी./एम. फिल अध्यादेश, 2017" की प्रति।

14. पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: परीक्षा सत्र 2016 में लगे कार्मिकों के भुगतान पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2015–16 में करवायी गयी वार्षिक परीक्षा में जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने कार्य किया है एवं उस समय भूलवश आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण इन्हें देय भुगतान नहीं हो पाया। उस भुगतान को उनके कार्यों के दिनों की तथ्याधारित गणना के बाद भुगतान किया जाये, परन्तु यह भुगतान किसी भी कलैण्डर माह में 26 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। इन्हें दैनिक श्रम के आधार पर भुगतान किया जावे, जिसे उनकी सेवा का भाग नहीं माना जावे। परन्तु यह भुगतान उनके नियमित वर्किंग हावर्स के अतिरिक्त किये गये काम के लिए ही देय होगा।

सर्वानुमति से यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में वर्किंग हावर्स से अतिरिक्त समय में काम करने वाले कर्मचारियों को भी यह भुगतान किया जावे।

सर्वानुमति से यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा सत्र 2016–17 के सफल संचालन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी संख्या जो कि उचित हो, अतिरिक्त कर्मचारियों अथवा वर्तमान कर्मचारियों से अतिरिक्त काम की सेवा ले सकता है।

परन्तुकः परन्तु यह सभी नियुक्तियां या काम के हावर्स राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नहीं माने जायेंगे तथा इनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं देय बजट में से नहीं होगा। इनका भुगतान विश्वविद्यालय की निजी आय से होगा।

15. पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: कुलपति महोदय के आवास पर विभिन्न कार्यों हेतु कार्यव्यवस्थार्थ सेवक/कार्मिक लगाने पर चर्चा।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, स्टेच्यूट, अध्यादेश एवं नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय कार्यालय एवं निवास पर स्थित कार्यालय के सम्पचूरी खर्च सहित सभी लाभों के लिए अधिकृत होंगें।

सर्वानुमति से यह भी निर्णय लिया जाता है कि कुलपति के आवास पर कार्य व्यवस्थार्थ सेवक/कुक/कार्मिक एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत अनिवार्य व्यवस्था हैं। वर्तमान में इनके मेहनताना की दर में अत्यधिक कमी के कारण पिछले लगभग 35 दिन के प्रयासों के बावजूद भी कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। अतः विशेष केस में एजेन्सी द्वारा अथवा अन्यथा निजी व्यवस्था द्वारा इनकी व्यवस्था की जावे तथा यदि आवश्यक हो तो विशेष केस में रेक्सको द्वारा भेजे गये कर्मचारियों के देय भुगतान की दर पर इन्हें भुगतान किया जाये। इस भुगतान को विश्वविद्यालय के निजी फंड से किया जाये तथा इसे प्रिसिडेन्ट (नजीर) नहीं माना जाये एवं ऐसे कर्मचारियों को महीने के प्रत्येक कलैण्डर माह की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व कार्यमुक्त किया जाये तथा 01 तारीख से पुनः कार्य पर लगाया जावे।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव